

प्रेस नोट दिनांक-26.11.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 35 क्वार्टर देशी व 10 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा धूस मैदान कोतवाली कर्वी से अभियुक्त गणेश प्रसाद पुत्र नथू प्रसाद निवासी भैरवपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची महुआ निर्मित अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 620/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट तथा उनकी टीम द्वारा पीपली मोड़ नहरा थाना पहाड़ी से अभियुक्त रामचन्द्र यादव पुत्र देवीदीन निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 35 क्वार्टर मस्ती देशी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 165/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गमुशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री तपेश कुमार तथा उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 488/2020 से संबंधित दो पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया व मुकदमें के 02 अभियुक्त 1. मनीष जोशी पुत्र जनार्दन निवासी चौघड़िया बाजार सीतापुर व 2. पुष्पेंद्र पुत्र जगमोहन निवासी भरतकूप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. एसआई रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. कांस्टेबल प्रकाश मिश्रा
3. का0 सोमदेव
4. महिला कांस्टेबल निशा यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड व कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेश के पास मजदूरी करती हुयी महिलाओं को व राजकीय बालिका इण्टर कालेज में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम तेरा बुजुर्ग, चिल्ली राकस व तुलसी मंदिर में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम विनोबा नगर भवती का पुरवा, गल्ला मंडी बरगढ़, ग्लास फैक्ट्री स्टेश बरगढ़ के गांव में, एण्टी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी बस स्टैण्ड, काली देवी चौराहा, पुरानी बाजार चौराहा, कच्ची छावनी, तरौहा व चौगलिया क्षेत्र में भ्रमण कर छात्राओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड

हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 151/2020 धारा 379 411 भादवि के वांछित चोरी करने वाले अभियुक्तगण 1. विजय उर्फ छोटू पटेल पुत्र बलराम उम्र करीब 27 वर्ष थाना मानिकपुर 2. अभिलाष पुत्र शोभा थाना मानिकपुर उम्र करीब 28 वर्ष को चोरी के समस्त माल 3 बैटरी 12 वोल्ट, तीन सोलर पैनल, तीन एलईडी लाइट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 सुरेश कुमार
3. का0 अरविन्द मौर्य

बरामदगी-

1. 3 बैटरी 12 वोल्ट,
2. तीन सोलर पैनल
3. तीन एलईडी लाइट

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री तपेश कुमार मिश्रा व पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार कड़ी मेहनत कर चिन्हित मुकदमे में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। एपीओ श्री कपिल त्रिपाठी द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मऊ श्री सुमित कुमार द्वारा मु0अ0सं0 116/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोपित अभियुक्त गप्पू उर्फ आशुतोष तिवारी निवासी मवई कला थाना मऊ चित्रकूट को उपरोक्त धारा में दोष सिद्ध करते हुये 06 माह का कारावास व 500 रुपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।

